भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3367

उत्तर देने की तारीख : 21.03.2023

एनओएस योजना का कार्यान्वयन

3367. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर आज की तिथि तक एनओएस के अंतर्गत निर्धारित निधि लाभार्थियों की संख्या तथा संवितरित निधि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छात्रवृत्ति की राशि के संवितरण में बहुत अधिक विलम्ब के कारण पात्र छात्रों को एनओएस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या और लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाने का सरकार का इरादा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दो राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) स्कीमें कार्यान्वित करता है। एक स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा परंपरागत कारीगरों के छात्रों के लिए कार्यान्वित की जाती है। दूसरी स्कीम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीओईपीडब्ल्यूडी) द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यान्वित की जाती है। दोनों विभाग, समय-समय पर, अपनी स्कीमों की समीक्षा करते हैं तथा स्कीम की बेहतरी के लिए उनमें संशोधन करते रहते हैं।

डीओईपीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों के लिए अपने एनओएस स्कीम दिशा-निर्देशों को जारी रखने हेतु उनकी समीक्षा की है।

इसी प्रकार, डीओएसजेई ने भी पारदर्शिता में वृद्धि करने, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, आवेदन तथा अनुमोदन के मध्य समय अंतराल को न्यूनतम करने तथा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने संबंधी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए स्कीम में संशोधन किया है।

(ख): दोनों विभागों की दोनों राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं। अत: इनके अंतर्गत निधियों के संवितरण और लाभार्थियों की संख्या का कोई राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से अभी तक एनओएस स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित निधियों, लाभार्थियों की संख्या और इस स्कीम के अंतर्गत संवितरित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग			दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग		
	बी.ई.	चयनित लाभार्थियों की संख्या	संवितरित निधियां	बी.ई*	चयनित लाभार्थियों की संख्या	संवितरित निधियां
2018-19	15.00	100	5.97	75.66	5	1.08
2019-20	20.00	100	28.56	125.00	6	1.02
2020-21	20.00	100	32.92	125.00	7	1.23
2021-22	30.00	125	49.07	125.00	9	2.39
2022-23 (दिनांक 15.03.2023 तक)	36.00	125	75.44	105.00	13	2.81

* अम्ब्रेला छात्रवृत्ति स्कीम का बजट आवंटन जिसमें एक घटक के रूप में एनओएस शामिल है।

(ग): ये स्कीमें गत अनेक वर्षों से सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। दोनों विभागों द्वारा एनओएस स्कीम के अंतर्गत निधियों के संवितरण में कोई विलंब नहीं हुआ है। वास्तव में गत कुछ वर्षों से एनओएस स्कीम के अंतर्गत किए गए व्यय में काफी वृद्धि हुई है जिसे उपर्युक्त सारणी में देखा जा सकता है।

(घ): दोनों विभागों द्वारा और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इस स्कीम के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

एनओएस योजना का कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 21.03.2023 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3367 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) द्वारा इस स्कीम के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु और इसके अंतर्गत अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए संचालित पहलें निम्नानुसार हैं:-

क. वर्ष 2020-21 से आय सीमा को 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया गया है ताकि एनओएस स्कीम के अंतर्गत और अधिक संख्या में छात्र इसका लाभ उठा सकें।

ख. वर्ष 2021-22 से एनओएस के अंतर्गत स्लॉटों की प्रतिवर्ष संख्या 100 से बढ़ाकर 125 की गई है।

ग. वर्ष 2019-20 से आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर इसे आसान कर दिया गया है तथा इस प्रकार दस्तावेज की संख्या में कमी आई है।

घ. वर्ष 2020-21 से सीटों के फील्ड-वार वितरण को समाप्त कर दिया गया है।

ड. एनओएस स्कीम का व्यापक प्रसार-प्रसार करने और जागरूकता फैलाने के लिए इस स्कीम का विज्ञापन समाचार-पत्रों/अन्य मीडिया और विभाग की वेबसाईट में दिया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीओईपीडब्ल्यूडी) द्वारा संचालित पहलें निम्नानुसार हैं:-

क. वार्षिक आय-सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है।

ख. छात्रवृत्ति की वास्तविक राशि के लिए सोल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त को घटाकर 50,000/-रुपए किया गया है।

ग. जिला प्राधिकारियों से चरित्र सत्यापन के प्रावधान को बदलकर उम्मीदवार द्वारा स्व-प्रमाणन कर दिया गया है।

घ. उम्मीदवार एनओएस स्कीम के अंतर्गत विदेश में समान स्तर के पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर/पीएच. डी.) में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्र होगा बशर्ते वह पाठ्यक्रम पहले से अर्हता प्राप्त विषय से अलग होना चाहिए।

ड. एनओएस स्कीम के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जागरूकता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों और विभाग की वेबसाइट पर, समय-समय पर, विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

*****